



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227616
CG-DL-E-15062021-227616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]
No. 324]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 15, 2021/ज्येष्ठ 25, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 15, 2021/JYAISTHA 25, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2021

सा.का.नि. 408(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22 क की उपधारा (1), लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22 क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 835(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2015 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक (1) के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

“(1) न्यायमूर्ति श्री शशिकांत गुप्ता, अध्यक्ष”
न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा सं. 12/15/2007-पीआई भाग III]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 835 (अ), तारीख 03 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात की सा.का. नि. 1130 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2016, सा.का. नि. 171, तारीख 01 मार्च, 2019, सा.का. नि. 413 (अ), तारीख 10 जून, 2019 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2021

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:—

In the said notification, against serial number (1), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“(1)	Shri Justice Shashi Kant Gupta, Judge (Retd.) High Court of Allahabad, Allahabad.	Chairperson”.
------	--	---------------

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.12/15/2007-PI Vol.III]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 1130(E), dated the 13th December, 2016, G.S.R. 171(E), dated the 1st March, 2019 and G.S.R. 413(E), dated the 10th June, 2019.